

अगस्त 2026



कुरुक्षेत्र

1954 से प्रकाशित ग्रामीण विकास मासिक

स्वस्थ खेत स्वस्थ धरती



खेत बचाओ
भविष्य बचाओ



कृषि विरासत का
सम्मान



किसानों का संरक्षण
भविष्य की सुरक्षा



प्रकृति-सम्मत खेती की ओर



सतत कृषि की नई परिभाषा गढ़ती महिलाएँ

डॉ. अरविंद कुमार

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को 'महिला किसान अंतरराष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया जाना कृषि में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मिली वैश्विक मान्यता है। भारत के लिए इस घोषणा का विशेष महत्व है, क्योंकि बीते एक दशक से भी अधिक समय से स्वयं सहायता समूहों, कृषि सखियों, ड्रोन तकनीक तथा भूमि और कानूनी अधिकारों के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेघालय के पहाड़ी सीढ़ीदार खेतों से लेकर सिक्किम की जैविक खेती और महाराष्ट्र में महिला किसानों के सशक्तीकरण हेतु कानून निर्माण - इन्हीं पहलों की बदौलत भारतीय कृषि में नेतृत्व की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है।

हा

ल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पिछले दस वर्षों में सरकार ने देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए सेवा और सशक्तीकरण का यह संकल्प आगे भी जारी रहेगा। यह विषय उनके संबोधनों में बार-बार उभरता है, खासकर तब, जब वे ग्रामीण भारत के

स्वयं सहायता समूहों को मजबूती देने वाली महिलाओं की चर्चा करते हैं। उनके शब्दों में, "स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ विकसित भारत की सशक्त कड़ी हैं।" ये महिलाएँ देश के गाँवों में धीरे-धीरे आकार ले रहे उस व्यापक परिवर्तन की धुरी हैं, जिसे अब वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिल रही है। इसी बदलाव को वैश्विक मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' घोषित किया है।

लेखक इंडिया वॉटर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ईमेल: drarvind@indiawaterfoundation.org



यह मान्यता महज औपचारिक नहीं है बल्कि ग्रामीण आजीविका की उस नई सोच को दर्शाती है, जिसमें महिलाएँ अब कल्याण योजनाओं की निष्क्रिय लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक बदलाव की सक्रिय सूत्रधार हैं। आज उनका योगदान फसल उत्पादन और पशुपालन से लेकर कृषि वानिकी, मत्स्यपालन, बागवानी, कटाई-पूर्व कार्यों, कटाई के बाद प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन तक पूरी कृषि मूल्य श्रृंखला में दिखाई देता है। खेतों से आगे बढ़कर महिलाएँ डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मशरूम की खेती और पौधशाला प्रबंधन जैसे सहायक उद्यमों का भी नेतृत्व कर रही हैं तथा उस आय में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं, जिसका अधिकांश भाग पहले बिचौलियों के पास चला जाता था। वे जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियाँ अपना रही हैं, जलस्रोतों के पुनर्जीवन तथा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर रही हैं और सटीक खेती के लिए डिजिटल साधनों एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग कर रही हैं।

कृषि परिवर्तन की वाहक महिलाएँ

इस बदलाव की व्यापकता का अंदाजा आँकड़ों से लगाया जा सकता है। वर्ष 2010-11 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के रूप में यह पहल शुरू हुई जिसे बाद में 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-

एनआरएलएम)' नाम दिया गया, जो आज विश्व के सबसे बड़े महिला-नेतृत्व वाले विकास मंचों में शामिल है। दिसंबर 2025 तक 10.05 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएँ 90.91 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी थीं। इन समूहों ने वर्ष 2013-14 से अब तक संस्थागत बैंकों से सामूहिक रूप से 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्राप्त किया है।

इसी व्यवस्था के अंतर्गत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) विशेष रूप से कृषि-आधारित आजीविका को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसके साथ शुरू की गई नई पहलों ने कृषि में महिलाओं की भागीदारी को और व्यापक बनाया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देशभर में 70,000 कृषि सखियाँ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अब तक 34,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य में प्रशिक्षित ये कृषि सखियाँ स्थानीय स्तर पर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और कृषि संबंधी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक महिला किसानों को कृषि-पारिस्थितिकी और पशुधन प्रबंधन की उन्नत पद्धतियों से परिचित कराया गया है।

1,261 करोड़ के बजट से संचालित, 'नमो ड्रोन दीदी योजना' कृषि क्षेत्र में महिला नेतृत्व को नई उड़ान दे रही है।

इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे किसानों को ड्रोन-आधारित सेवाएँ देकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। वहीं देश के 1,175 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की कमान अब पूरी तरह महिला अंशधारकों के हाथों में है।

'लखपति दीदी मिशन' के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक महिलाएँ अब सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। वर्ष 2029 तक छह करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहले महिला सशक्तीकरण के उस व्यापक अभियान का हिस्सा हैं, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। आज 56 प्रतिशत जन धन खाते महिलाओं के नाम हैं और मुद्रा ऋणों में उनकी हिस्सेदारी 68 प्रतिशत है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 'कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाएँ' वैश्विक

महिला किसान सशक्तीकरण

मुख्य उपलब्धियाँ

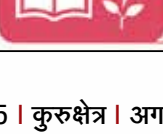
- 

एकीकृत योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता, सस्ती ऋण सुविधा, बेहतर अवसंरचना, उन्नत तकनीक, प्रशिक्षण और कौशल विकास से महिला किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है।
- 

2025-26 (28.02.26 तक): **11.61 लाख** से अधिक महिला किसानों को एटीएमए योजना के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान किया गया।
- 

कृषि अवसंरचना निधि (AIF) और नमो ड्रोन दीदी से ऋण, तकनीक और प्रशिक्षण तक आसान पहुँच;
8,190 महिला नेतृत्व वाले **2,377 करोड़** रुपये के प्रोजेक्ट्स को समर्थन।
- 

महिला किसान उत्पादक संगठन (FPO) बढ़ रहे हैं;
1175 ऑल-विमेन FPOs से **23.55 लाख** किसानों को लाभ।
- 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत अब तक **1.01 लाख करोड़ रुपये** से अधिक की राशि महिला लाभार्थियों को दी गई है।
- 

कृषि सखी पहल से महिलाओं के कौशल विकास, प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुँच को बढ़ावा मिला है।



सम्मेलन ने भारत की इस उल्लेखनीय प्रगति को विश्व के सामने रखा है।

आर्थिक सर्वेक्षण इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर सामने रखता है। भारत के कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 के 57 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 64.4 प्रतिशत हो गई। इसके बावजूद भूमि स्वामित्व में उनकी भागीदारी अब भी बहुत कम है। देश की कुल कृषि जोतों में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी लगभग 14 प्रतिशत है। इस अंतर को दूर करने के लिए कई राज्य सरकारों ने कई विशेष कानूनी और नीतिगत सुधार शुरू किए हैं।

सशक्तीकरण के लिए अनुकूल परिवेश

भारतीय कृषि में महिलाओं का सशक्तीकरण अब कोई गौण मुद्दा नहीं रहा, बल्कि वह केंद्रीय धुरी बन गया है जिस पर देश का कृषि भविष्य आकार ले रहा है। मेघालय की वर्षा से भीगी पहाड़ियों से लेकर सिक्किम के जैविक खेतों तक और महाराष्ट्र के विधायी सुधारों से लेकर तेलंगाना के उद्यमिता तंत्र तक बदलाव की एक साझा कहानी उभर रही है जिसमें महिलाएँ पहचान से वंचित श्रमिकों की भूमिका से आगे बढ़कर नेतृत्व की कमान संभाल रही हैं। यह परिवर्तन अलग-अलग प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि संस्थागत सहयोग, तकनीकी नवाचार और प्रगतिशील नीतिगत सुधारों के गहरे तालमेल से संभव हो पाया है।

मेघालय की मातृवंशीय परम्परा में भूमि स्वामित्व और पारिवारिक निर्णयों की बागडोर लंबे समय से महिलाओं के हाथों में रही है। इंडिया वाटर फाउंडेशन ने जेआईसीए, जीआईजेड, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व बैंक जैसे साझेदारों के सहयोग से एकीकृत बेसिन विकास एवं आजीविका संवर्धन कार्यक्रम (आईबीडीएलपी) को आकार देकर महिलाओं के इस पारम्परिक अधिकार को संस्थागत मजबूती प्रदान की है। कभी छोटे-छोटे क्षेत्रों में झूम खेती करने वाली महिलाएँ अब लाकाडोंग हल्दी, अदरक और इलायची जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन की अगुवाई कर रही हैं। प्राकृतिक जलस्रोतों के पुनर्जीवन तथा ड्रिप सिंचाई ने अधिक वर्षा के बावजूद शुष्क मौसम में होने वाली पानी की गंभीर समस्या को दूर करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पानी की सुनिश्चित उपलब्धता से साल में कई फसलों की खेती संभव हुई है, आय में स्थिरता आई है और महिलाएँ प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मधुमक्खी पालन तथा पौधशाला जैसे उद्यमों से भी जुड़ी हैं। इससे पहले बिचौलियों के हिस्से जाने वाला लाभ अब सीधे महिलाओं तक पहुँच रहा है।

मेघालय की तरह सिक्किम की पहाड़ियाँ भी महिला नेतृत्व में आए बदलाव की एक प्रेरक कहानी कहती हैं। वर्ष 2016 में विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने के बाद इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने पीढ़ी-दर-

पीढ़ी मिले पारम्परिक ज्ञान को सहेजकर इस परिवर्तन को मजबूती दी है। इसी ज्ञान के बल पर बड़ी इलायची, अदरक और हल्दी जैसी उपज को व्यावसायिक सफलता मिली है। सिक्किम का यह मॉडल अब पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। पर्यटकों को भी स्थानीय जैविक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल ने सरकारी नीति, महिला नेतृत्व और बाजार की माँग—तीनों को एक मजबूत कड़ी में जोड़ दिया है।

जुलाई 2026 में 'महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तीकरण अधिनियम' को सर्वसम्मति से पारित कर महाराष्ट्र ने देश में एक ऐतिहासिक विधायी पहल की है। यह अधिनियम भूमि के स्वामित्व की शर्त से परे महिलाओं को स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी मान्यता देता है। यह उस राज्य में लंबे समय से अपेक्षित व्यवस्थागत सुधार है, जहाँ कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन भूमि का स्वामित्व

महिला किसानों के लिए प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम

- कृषि अवसंरचना निधि (AIF)
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ATMA)
- एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM)
- नमो ड्रोन दीदी योजना
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
- दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग



मुख्यतः पुरुषों के नाम होने के कारण वे कल्याणकारी योजनाओं, फसल बीमा और संस्थागत ऋण जैसी सुविधाओं से वंचित रही हैं। अधिनियम में महिला किसान प्रमाण-पत्र जारी करने, समर्पित राज्य कोष स्थापित करने और व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार यह कृषि में महिलाओं के सशक्तीकरण की राह में लंबे समय से बनी एक बड़ी बाधा को दूर करता है।

वहीं, तेलंगाना ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी के अंतर्गत, 4.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के अपने विशाल नेटवर्क के आधार पर 12.66 करोड़ रुपये का 'चैलेंज फंड' शुरू किया है। यह कोष राज्य के सभी 33 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि से जुड़े व्यवसायों और हस्तशिल्प के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस पहल से महिलाएँ सूक्ष्म वित्त तक सीमित भागीदारी से आगे बढ़कर स्वतंत्र ग्रामीण उद्यमी बन रही हैं।

राज्य स्तर पर किए जा रहे ये नवाचार अलग-थलग प्रयास नहीं हैं। इन्हें देशभर में संचालित योजनाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं का मजबूत आधार प्राप्त है। राज्य स्तर पर किए जा रहे ये नवाचार अलग-थलग प्रयास नहीं हैं जो मिलकर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत महिला लाभार्थियों के खातों में अब तक 1.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। केवल 22वीं किस्त में ही लगभग 2.15 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है। कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत महिला किसानों की 8,190 परियोजनाओं के लिए 2,377 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना के तहत महिलाओं से जुड़ी 10,600 से अधिक भंडारण परियोजनाओं को सब्सिडी दी गई है, जिससे बाजारों तक उनकी पहुँच बेहतर हुई है।

संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कार्यक्रम ने वित्तीय समावेशन को और मजबूत किया है। इनके माध्यम से महिला किसानों के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करना आसान हुआ है। आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनकी क्षमताओं को बढ़ाने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। 'राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान' (मैनेज) ने वर्ष 2020 से अब तक 61,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। वहीं, राष्ट्रीय कृषि महिला संसाधन केंद्र (एनजीआरसीए) कृषि नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं की जरूरतों और समान भागीदारी को प्राथमिकता दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

राज्यों की विशिष्ट पहलों, राष्ट्रीय वित्तीय एवं तकनीकी योजनाओं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनों,

समुदाय-आधारित कृषि प्रसार सेवाओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों का यह समन्वय दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में आ रहे बदलाव बिखरे हुए प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुसंगत और सशक्त आंदोलन है। यह आंदोलन आखिरकार देश की कृषि व्यवस्था की रीढ़ को वह पहचान और सहयोग दिला रहा है, जिसकी वह हमेशा से हकदार रही है।

निष्कर्ष

सुधारों के अगले चरण में भूमि अभिलेखों में महिलाओं के अधिकारों को दर्ज करने, संयुक्त भू-स्वामित्व को बढ़ावा देने और उत्तराधिकार संबंधी सुधारों के माध्यम से सभी महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे ऋण, बीमा, बाजार और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल भूमि के मालिकाना हक के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तव में खेती करने वालों को मिल सकेगा। साथ ही, जलवायु-अनुकूल कृषि, डिजिटल कृषि परामर्श सेवाओं, सटीक कृषि प्रणालियों, कृषि मशीनीकरण, महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), मूल्य संवर्धन और कृषि-प्रसंस्करण उद्यमों में बड़े निवेश की आवश्यकता है, ताकि महिलाएँ केवल उत्पादक की भूमिका तक सीमित न रहें बल्कि कृषि-व्यवसाय का नेतृत्व भी संभालें।

सिंचाई के विस्तार, जल सुरक्षा, भंडारण अवसंरचना और बाजार से बेहतर जुड़ाव को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों, कृषि सखियों और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे कृषि क्षेत्र के प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता में वृद्धि होगी और किसानों, विशेषकर महिलाओं की आय अधिक सुरक्षित एवं स्थिर होगी। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को सार्वजनिक और निजी निवेश में वृद्धि, लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट व्यवस्था तथा साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को गति देने के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए, ताकि कृषि एवं कृषि-आधारित खाद्य मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में महिलाओं के योगदान का समुचित आकलन और सम्मान सुनिश्चित हो सके। महिला कृषि-खाद्य प्रणाली पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भी इस बात पर विशेष बल दिया गया कि खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि और सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति महिला किसानों के सशक्तीकरण के बिना असंभव है।

भारत की यात्रा यह दर्शाती है कि जब महिलाओं को केवल खेतिहर श्रमिक नहीं बल्कि किसान, उद्यमी, नवप्रवर्तक और निर्णयकर्ता के रूप में मान्यता मिलती है तो वे समावेशी ग्रामीण बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। इसलिए महिला किसानों का सशक्तीकरण केवल कृषि की प्रगति का आधार नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण की अनिवार्य शर्त भी है। □

